



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20811

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1229/2026

जीतू.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:नागेश द्विवेदी, सुशील कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेश द्विवेदी, याचिका में मौजूद एक तकनीकी और अंतर्निहित दोष के कारण, इस वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं; साथ ही उन्हें यह स्वतंत्रता भी दी जाए कि वे इस मामले में एक नई याचिका पुनः दायर कर सकें।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, इस रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

एन0एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”